



प्रेषक,

रवि रंजन,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2026

विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न योजनाओं हेतु काईण्ड ग्राण्ट के अन्तर्गत देय केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में काईण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटीनेंस ग्राण्ट के अन्तर्गत प्रावधानित बजट से अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनु083/एन0एच0एम0/2026-27/51, दिनांक 29.04.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश Kind Grant के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत रु0 4036.43 लाख की Kind Grant की स्वीकृतियों के सापेक्ष देय राज्यांश 2690.95 लाख धनराशि को अनुदान संख्या-83, लेखाशीर्षक-राजस्व लेखा, 2211-परिवार कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ 0104-काईण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटीनेंस ग्राण्ट (के.60/ रा.40 -रा.), 42-अन्य व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्राविधानित में से रु0 2690.95 लाख (रुपये छब्बीस करोड़ नब्बे लाख पंचान्नबे हजार मात्र) राज्यांश को आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

- (1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (3) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
- (5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
- (6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
- (7) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(8) केन्द्रांश/राज्यांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन किये जाने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उओप्रओ का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,90,95,000 (रुपये छब्बीस करोड़ नब्बे लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2211007890104 काईण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स ग्राण्ट (के.60/रा.40-रा.) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-26/दस-2026-27, दिनांक 27 मई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव

संख्या-62/2026/858(1)-001-5-9002-099-4-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2. महालेखाकार(द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
4. मिशन निदेशक, एनओएचओएमओ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एनओएचओएमओ, लखनऊ।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उओप्रओ शासन।
9. वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उओप्रओ शासन।
10. कम्प्यूटर सेल/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।